[2008] 1 एस. सी. आर 13

गुलाम मोहम्मद डार

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य व अन्य

सिविल अपील (12/2008)

4 जनवरी, 2008

[न्यायाधिपति **जी. पी. माथुर** और न्यायाधिपति **पी. सथाशिवम**]

मध्यस्थता- पंचाट राशि पर ब्याज - उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि पंचाट राशि पर ब्याज डिक्री की दिनांक से वसूली की दिनांक तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय होगा - दावेदार का मामला था कि डिक्रीत राशि पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पंचाट की दिनांक से किया जाना चाहिए, न कि डिक्री की दिनांक से - अपील मे अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया - इसके अलावा ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना तय किया गया।

मध्यस्थ द्वारा दावेदार के पक्ष में एक पंचाट पारित किया। उच्च न्यायालय ने इस पंचाट को न्यायालय आदेश के रूप में प्रभावी कर दिया और मध्यस्थ द्वारा पारित किए गए पंचाट मे बकाया पायी गयी राशि मय ब्याज का भुगतान डिक्री की दिनांक से याचिका में वर्णित डिक्रीत राशि की

अंतिम वसूली तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाना अभिनिर्धारित किया। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गयी।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान करने में किए गए व्यतिक्रम को देखते हुए अपीलार्थी पंचाट की दिनांक से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार था, ना कि डिक्री की दिनांक से।

अपील को फैसल करते हुए, न्यायालय ने प्रतिपादित किया:

मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता याचिका में पारित दिशानिर्देश और उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका में पारित आदेश की जांच की गई। इसके अवलोकन पर और यह तथ्य कि प्रतिवादी कोई और नहीं बल्कि राज्य सरकार हैं, मध्यस्थता याचिका में पारित उच्च न्यायालय के आदेश से न्यायालय सहमति रखता है और यह अभिनिर्धारित किया कि दावेदार डिक्री की दिनांक से पंचाट की राशि की प्राप्ति की दिनांक तक पंचाट राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है। इस हद तक, स्थिति स्पष्ट की जाती है। [पैरा 8] [15-एफ, जी]

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील सं. 12/2008

सी. आर. नं. 47/2006 में दिनांक 1.02.2006 को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय और आदेश से।

एम. एल. भट व पूर्णिमा भट (अपीलार्थी की ओर से)

अनीस सुहरावर्दी और एस. मेहदी इमाम (प्रत्यर्थीगण की ओर से)

न्यायाधिपति **पी. सदाशिवम** द्वारा न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

1) अनुमति दी गई।

2) यह अपील दिनांक 01.09.2006 को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर द्वारा सिविल रिवीजन संख्या 47/2006 में पारित आदेश के विरुद्ध की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण को खारिज कर दिया था।

3) सीमित विवाद अर्थात प्रत्यर्थीगण द्वारा देय ब्याज को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत मुद्दे को छोड़कर मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के विवेचन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4) अपीलार्थी के अनुसार, निष्पादन न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है और गलत तरीके से पंचाट/डिक्रीत राशि पर पंचाट की दिनांक से डिक्री के पारित होने तक की अवधि का ब्याज देने से इंकार कर दिया।

5) यह विवादित नहीं है कि दिनांक 05.09.1995 को एक पंचाट पारित किया गया था, जिसे न्यायालय का नियम बनाया गया था और

तदनुसार दिनांक 30.04.1998 को न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई थी।

6) ब्याज के दरों के संदर्भ में, मध्यस्थ द्वारा पारित किए गए पंचाट को पुनः प्रस्तुत करना सुसंगत/प्रासंगिक है जो कि निम्नानुसार हैः

> "दावेदार, दिनांक 10.11.1995 के पश्चात् 10 प्रतिशत S.I.P.A के हकदार होंगे, जब तक प्रत्यर्थीगण द्वारा संपूर्ण पंचाट राशि का पूर्णतः भुगतान नहीं किया जाता है। प्रत्यर्थी सं. 3, दिनांक 27.12.1993 से लंबित अंतिम बिल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसा न करने पर दिनांक 01.02.1994 से वास्तविक भुगतान की दिनांक तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
>
> हालांकि मध्यस्थ द्वारा पारित किया गया आदेश में थोड़ा भ्रम है, परंतु यह उपधारित किया जाता है कि मध्यस्थ ने दिनांक 10.11.1995 से प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्ण भुगतान करने की दिनांक तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दिये जाने का आदेश दिया है। मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश का अंतिम भाग यह दर्शाता है कि भुगतान किये जाने में चूक की स्थिति में, प्रत्यर्थीगण को

दिनांक 01.02.1994 से वास्तविक भुगतान करने की दिनांक तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज वहन करना होगा।"

7) दिनांक 30.04.1998 को, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थता याचिका संख्या 171/1991 को फैसल कर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

"परिस्थितियों को समग्र रूप से देखते हुए मैं आदेश देता हूं कि पंचाट न्यायालय आदेश के रूप में प्रभावी हो और मध्यस्थ द्वारा निर्णित ब्याज सहित बकाया देय राशि का भुगतान डिक्री की दिनांक से डिक्रीत/अवमूल्यन राशि की अंतिम वसूली की दिनांक तक 18 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज सहित किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब की जावें।"

8) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ वकील, द्वारा मध्यस्थ द्वारा पारित निर्देश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए तर्क दिया गया कि निर्धारित समय सीमा में राशि के भुगतान में चूक को देखते हुए अपीलार्थी पंचाट की दिनांक से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है, न कि डिक्री की दिनांक से। विवाद को ध्यान में रखते हुएए मध्यस्थता याचिका

में मध्यस्थ द्वारा पारित निर्देशों और पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जांच की गई। हस्तगत विवादित प्रश्न और इस तथ्य के अवलोकन पर कि प्रतिवादी कोई और नहीं, बल्कि राज्य सरकार हैं, यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.1998 को मध्यस्थता याचिका संख्या 171/1991 में पारित आदेश से सहमत हैं और यह निर्धारित करता है कि दावेदार पंचाट की राशि पर डिक्री की दिनांक से वसूली की दिनांक तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है। दीवानी अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है। इस हद तक स्थिति स्पष्ट की जाती है। कोई खर्चा नहीं।

अपील फैसल की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संध्या पूनिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।